न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 16/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/144

निगरारीकार	**बनाम**	**गैरनिगरानीकार**
पदमा देवी पत्नी श्री नारायण सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम रतनपुरा, ग्राम पंचायत काशीनगर, पंचायत समिति मकराना, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन		1. सरपंच ग्राम पंचायत काशीनगर, पंचायत समिति मकराना, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत काशीनगर, पंचायत समिति मकराना, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश/नोटिस क्रमांक 42/2022 दिनांक 01/12/2022 वास्ते अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने बाबत् ग्राम पंचायत काशीनगर

उपस्थितः–

1. श्री सिकन्दर खान वकील निगरानीकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 10.12.2024

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के तथ्य सक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. ग्राम रतनपुरा की सीमा में आबादी भूमि के खसरा संख्या 211 में निगरानी–कर्ता पदमा देवी का एक भू–खण्ड है जिसे निगरानीकर्ता द्वारा जरिये इकारार बैचान–नामा दिनांक 15.10.2022 को श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी रतनपुरा हाल निवासी झालरा तालाब, भाटीपुरा तहसील मकराना से क्रय किया गया था।
2. उक्त भू–खण्ड पर पूर्व से कब्जा जब्बर सिंह का उसके पूर्वजों के समय से तकरीबन 100 वर्षों से भी अधिक समय चला आ रहा था तथा निगरानीकर्ता द्वारा जरिये इकरार बैचान–नामा दिनांक 15.10.2022 को उक्त भू–खण्ड को श्री जब्बर सिंह से क्रय किये जाने के बाद उक्त भू–खण्ड पर कब्जा स्वामित्व मुझ निगरानीकर्ता का चला आ रहा हैं जिस पर पूर्ण रूप से मेरा मालिकाना हक है।
3. निगरानीकर्ता द्वारा क्रय–शुदा भू–खण्ड को ग्राम रतनपुरा के ही कुछ लोगों द्वारा मिथ्या रूप से सार्वजनिक चौक बताकर अतिक्रमण करने की कोशिश की गयी लेकिन उक्त क्रय–शुदा भू–खण्ड मेरे हक [illegible] का होने से किसी को उक्त भू–खण्ड पर कब्जा नहीं करने दिया गया था।
4. मेरे स्वामित्व व कब्जा–शुदा उक्त भू–खण्ड के सम्बन्ध में मुझ निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा बनवाने हेतु ग्राम–पंचायत काशीनगर के समक्ष आवेदन किया हुआ है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.11 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नहीं बनाया जा रहा है जिस वजह से मुझ निगरानीकर्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

5. ग्राम पंचायत काशीनगर द्वारा मिथ्या शिकायतों के आधार मेरे स्वामित्व वाले उक्त भू–खण्ड को सार्वजनिक चौक बताकर एक अवैध नोटिस क्रमांक 42/2022 दिनांकित 01.12.2022 निगरानी कर्ता को प्राप्त हुआ था। उक्त नोटिस में यह उल्लेखित किया गया है कि "आपके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुयी है कि आपके द्वारा ग्राम रतनपुरा की आबादी के खसरा संख्या 211 में सार्वजनिक चौक में पट्टी–कातले डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है तथा बिना पंचायत की अनुमति के नाली निर्माण व चबूतरा निर्माण किया जा रहा है।

   अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के बाद तुरन्त प्रभाव से सभी प्रकार के निर्माण कार्य रोक देवें तथा किसी प्रकार के पट्टी/कातले लगाकर तारबन्दी या अन्य कब्जा सम्बन्धी प्रयास ना करें और यथास्थिती बनाए रखें। साथ ही सात दिवस में कार्यालय में उक्त भूमि आपके मालिकाना हक होने के सम्बन्धी दस्तावेज/प्रमाण पेश करें।"

6. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त नोटिस का जवाब व उक्त भूमि के मालिकाना हक होने के सम्बन्धी वांछित दस्तावेज भी दिनांक 06.12.2022 को ग्राम पंचायत काशीनगर के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए थे परन्तु नोटिस का जवाब स्वामित्व सम्बन्धी तमाम सबूत प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस के सम्बंधित कार्यवाही को निरस्त नहीं किया गया है।

7. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त नोटिस की निरस्ती करवाने व उक्त भू–खण्ड का पट्टा विलेख बनवाने के बाबत एक प्रार्थना–पत्र श्रीमान् प्रधान, पंचायत समिति मकराना के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय प्रधान महोदय द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

8. उक्त भू–खण्ड जो मुझ निगरानी–कर्ता द्वारा जरिये इकारार बेचान–नामा दिनांक 15.10.2022 को श्री जब्बर सिंह से क्रय किया गया था उसके उत्तर दिशा की तरफ मुझ निगरानी–कर्ता का स्वयं का कब्जेशुदा स्वामित्व शुदा मकान स्थित है तथा मेरे इस मकान का पट्टा–विलेख ग्राम–पंचावा द्वारा भींचावा द्वारा 22.12.1999 को जारी किया गया था तथा यह पट्ट–विलेख दिनांक 29.03.2007 को माननीय उप–पंजीयक मकराना के कार्यालय में पंजीकृत भी है। इस पट्टा–विलेख में भी दर्शित में भी दर्शित–पडौस में यह स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है जो खसरा संख्या 211 में स्थित उक्त भू–खड को मेरे द्वारा जब्बर सिंह से क्रय करने से पूर्व जारी किया गया था और मेरे मकान के दक्षिण में भी मालिकाना हक श्री जब्बर सिंह का ही कब्जा है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त भू–खण्ड पर पूर्व से कब्जा जब्बर सिंह का उसके पूर्वजों के समय से तकरीबन 100 वर्षों से भी अधीक समय चला आ रहा था तथा निगरानी–कर्ता द्वारा जरियं इकरार बेचान–नामा दिनांक 15.10.2022 को उक्त भू–खण्ड को श्री जब्बर सिंह से क्रय [illegible] के बाद उक्त भू–खण्ड पर कब्जा स्वामित्व मुझ निगरानी–कर्ता का [illegible] है तथा उक्त भू–खण्ड श्री जब्बर सिंह की नीजी सम्पत्ति [illegible] की गयी जिस पर पूर्ण रूप से मेरा मालिकाना हक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.11 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

9. निम्नवत् एक नजरी नक्शा दर्शित है। नजरी नक्शे में अलग स्याही से मार्क "A,B,C,D" व मार्क "E,F,G,H" उक्त भू–भुण्ड को दर्शिक करता है जो मुझ निगरानी–कर्ता द्वारा जरिये इकरार बेचान–नामा दिनांक 15.10.2022 को श्री जब्बर सिंह से क्रय किया गया था तथा मार्क "E,F,G,H" मुझ निगरानी–कर्ता के स्वयं के कब्जेशुदा स्वामित्व शुदा मकान को दर्शित करता है। जिसका पट्टा विलेख ग्राम पंचायत भींचावा द्वारा दिनांक 22.12.1999 को जारी किया गया था तथा यह पट्टा विलेख दिनांक 29.03.2007 को उप पंजीयक मकराना के कार्यालय में पंजीकृत भी है। इस नजरी नक्शें में दर्शित भू–खण्ड की स्थिति की स्थिति 100 से भी अधिक वर्षो से पूर्व तक वर्तमान स्थिति के अनुसार ही रही है। इस प्रकार निगरानीकर्ता ने ना ही तो कोई अवैध भूमि क्रय की है और ना ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया है। इसके अलावा उक्त भूमि के सम्बन्ध में मुझ निगरानीकर्ता द्वारा कोई निर्माण करवाया भी जावेगा तो वह मेरे हक हिस्से की सीमा के अन्तर्गत ही करवाया जायगा।

10. यह है कि निगरानीकर्ता का जो स्वामित्व शुदा भूखण्ड है उसकी लम्बाई चौडाई व पडौस निम्न प्रकार है:–

उत्तरी भुजा– 84 फीट, दक्षिणी भुजा– 108 फीट, पूर्वी भुजा– 70 फीट, पश्चिमी भुजा– 45 फीट। उक्त भूखण्ड के पडौस उत्तर में– निगरानीकर्ता पदमादेवी का मकान तथा 10 फीट चौडा शामताली रास्ता, दक्षिण में– गांव की तरफ आने वाली 12 फीट चौडी मुख्य सडक, पूर्व में– 8.6 फीट चौडा शामलाती रास्ता, पश्चिम में– 8 फीट चौडा शामलाती रास्ता।

निगरानीकर्ता द्वारा ना ही तो कोई अवैध भूमि क्रय की है ना ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया है और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है। भूखण्ड की जो स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी वहीं स्थिति आज मौके पर बनी हुई है और भुखण्ड को कब्जे व स्वामित्व के आधार पर ही जब्बर सिंह से मेरे द्वारा वैधानिक रूप क्रय किया गया है और विधिक रूप से ही कब्जे व स्वामित्व का अन्तरण मेरे पक्ष में किया गया है। मात्र ग्राम पंचायत और कुछ ग्राम वासियों की राजनैतिक द्वेषता के चलते यह नोटिस दिनांक 01.12.2022 को जारी कर दिया गया है तथा इस नोटिस के आधार पर कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह अवैध व गैर कानूनी है।

11. ग्राम पंचायत काशीनगर द्वारा निगरानीकर्ता को भेजे गए नोटिस में ना तो सुनवाई की तिथि का अंकन किया गया है और ना ही निगरानीकर्ता को समुचित तौर पर सुना गया है तथा निगरानीकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश की जानकारी प्रार्थी को नही दी गई है, अगर समुचित तौर पर बिना सुने व सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश इकतरफा आदेश होता है तथा इस प्रकार की कार्यवाहियां अवैध व गैर कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Soni
Date: 2024.12.11 10:53:08 IST
Reason: SelfAttested

12. निगरानीकर्ता द्वारा बार–बार ग्राम पंचायत काशीनगर के कार्यालय में जाकर ग्राम विकास अधिकारी को कहा कि पंचायत द्वारा जो नोटिस दिया गया है उससे संबंधित संधारित पत्रावली व अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

निगरानीकर्ता को उसकी नकले प्रदान करें, निगरानीकर्ता ने नकलें लेने हेतु बार–बार आवेदन किया परन्तु ग्राम विकास अधिकारी ने निगरानीकर्ता के आवेदन तक नहीं लिया तथा नकलें देने से मना कर दिया।

13. ग्राम पंचायत द्वारा मनमानी कर राजनैतिक द्वेषता के चलते मात्र मिथ्या शिकायतों के आधार पर अवैध कब्जा व झुंठा अतिक्रमण बताकर निगरानीकर्ता स्वामित्व शुदा कब्जा शुदा भूखण्ड के विरूद्ध कार्यवाही करना चाह रहे है जो कानूनन ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत काशीनगर के प्रतिनिधियों को नही है।

14. उक्त भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय मकराना में एक वाद विचाराधीन है तथा अभी कुछ दिनों पूर्व मुझ निगरानीकर्ता के क्रय शुदा भूखण्ड पर कुछ ग्रामवासियों ने अवैध प्रवेश कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी जिसके खिलाफ एक इस्तगासा दिनांक 04.11.2022 को अन्तर्गत धारा 107, 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मकराना के समक्ष मेरे पुत्र भावेश द्वारा पेश किया गया था।

15. ग्राम पंचायत काशीनगर के प्रतिनिधि निगरानीकर्ता के स्वामित्व शुदा कब्जा शुदा भूखण्ड पर अवैध कब्जा व झुंठा अतिक्रमण बताकर भूखण्ड के संबंध में कार्यवाही करना चाह रहे है जो कानूनन ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत काशीनगर के प्रतिनिधियों को नहीं है तथा निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिए व बिना कोई आदेश पारित कर मानमानी पूर्वक ऐसा कर रही है। ऐसा करने से ग्राम पंचायत काशीनगर व उसके प्रतिनिधि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा ताफैसला निगरानी तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निगरानीकर्ता को भारी असुविधा व अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में होना संभव नहीं होगा।

16. ग्राम पंचायत काशीनगर द्वारा निगरानीकर्ता को अवेध कब्जा बाबत नोटिस दिनांक 01.12.2022 को दिया गया था उसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 06.12.2022 को दे दिया गया था। इस नोटिस में सुनवाई की कोई भी तिथि तय नहीं की गई थी ना ही निगरानीकर्ता को सुना गया था तथा इसके पूर्व में किसी प्रकार का नोटिस पंचायत द्वारा नहीं दिया गया था बल्कि प्रथम बार दिए गए नोटिस में सीधा कब्जा हटाने के आदेश पारित कर दिए गए जो निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना तथा बिना किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अपनाए पारित किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अतः निगरानीकर्ता की तरफ से निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत काशीनगर द्वारा जो नोटिस क्रमांक 42/2022 दिनांक 01.12.2022 को दिया गया है के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसकी संधारित पत्रावली यदि है तो तलब फरमाई जाकर इस नोटिस व इसके आधार पर जो भी आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.11 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested

एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता ने निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के आधार पर पेश की है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है। आबादी भूमि पर कार्यवाही करने का ग्राम पंचायत को पूर्ण

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अधिकार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रावधान है कि "राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामलें में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया उलट दिया या पुनर्विचरार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।"

प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी आदेश ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है न ही निगरानीकर्ता ने यह बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में क्या अनियमितता है। ऐसी स्थिति में जब कोई निर्णय पारित ही नहीं हुआ तो निगरानी पोषनीय नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारीज की जाती है तथा वह अपना प्रतिउत्तर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करें व ग्राम पंचायत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निगरानकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.11 10:33:08 IST
Reason: SelfAttested